न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

रहीश बनाम चन्दरखां वगै0

....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनि ायल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.11.2021	आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है। अतः उभयपक्ष को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.12.21 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष आराजी खसरा नम्बर 307 रकबा 0.18 बिस्वा (0.2300है0) में से 16 बिस्वा व खसरा नं0 308/2 रकबा 0.0300 हे0, व 428/308 रकबा 0.1100 है0 वाके ग्राम, चौडावता तह0 किंशनगढबास जिला अलवर के 1/2 भाग पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। क्यो ना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, वकील प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 29.12.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर) 29-12-21 ....पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर गये हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 31-1-22 को पेश हो। रीडर	

3-1-22 वकील प्रार्थी उप० । मिसल वास्ते तलबी दिनांक 21-3-22 को पेश हो।

21-3-22 पत्रावली पेश हुई। वकीलो द्वारा कार्य बहिष्कार दिनांक 25-4-22 को पेश हों।

25-4-22 वकील प्रार्थी उप० । मिसल वास्ते तलबी दिनांक 20-6-22 को पेश हो।

20-6-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 22-8-22
को पेश हो।

रीडर

22-8-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 14-11-22
को पेश हो।

रीडर

14-11-22 वकील प्रार्थी उप० । मिसल वास्ते तलबी दिनांक 5-12-22 को पेश हों।

5-12-22 वकील प्रार्थी उप० । मिसल वास्ते तलबी दिनांक 09-1-23 को पेश हो।

09-01-23 पत्रावली पेश हुई। वादी का मूलवाद अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 ए.वी.व.ए भी अदम हाजरी पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।